बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या—4 (न) गठ—3 / 2011 **949** / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या—4195 दिनांक—29.11.2012 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा—5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा—6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार रोहतास जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची 'क' में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत गठन करती है तथा इसमें पड़ने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्रावधानों को लागू करती है:--

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(क)	ग्राम का नाम		थाना सं0	
(ख)	 कोचस कोरीगांवा ओझवलिया परिसया चौहददी 		285 002 0011 282	
		उत्तर दक्षिण पूरब	नरवर कुसही, गौड़ा नौवां	

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, कोचस कहा जायेगा।

यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

उप सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—4 (न) गठ—3 / 2011 949 / न0वि0एवं.आ0वि0 / पटना, दिनांक— 10/4)13 प्रतिलिपि:—अधीक्षक, सिचवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ / ई—गजट कोषांग, वित्तं विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ ई—गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

हरिनाथपुर, सिमरिया

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—4 (न) गठ—3 / 2011 **९५९** / न०वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक— **१०१५५**१३ प्रतिलिपिः—सभी जिला पदाधिकारी / महालेखाकर, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सासाराम / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक—4 (न) गठ—3 / 2011 949 / न०वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक—1019) प्रतिलिपिः—सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग ज्ञापांक—4 (न) गठ—3 / 2011 9 4 / न०वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक—1 & 1 / प्रतिलिपिः—नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं सचिवालय सहायकों की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

> उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या— 4 (न) गठ—3 / 2011 अधिसूचना संख्या— ७५१ दिनांक— १०/५/१३/ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डा० राजीव कुमार) उप सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar Urban Development and Housing Department

No-4 (N) Gath-3/2011 950 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-4195 dated-29.11.2012 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007) the State Government in exercise of the power conferred under section-6 of the Act constitute a Nagar Panchayat and in it enforce the relevant provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 in the transitional areas falling within the boundary described in following schedule-'A' in district Rohtas-

Schedule-A

1 (a) Name of villages and Thana Nos

Name of Village	Thana No.
1. Kochas	285
2. Korigawa	002
3. Ojhawaliya	0011
4. Parsiya	282

(b) Boundary:-

North- Narwar
South- Kusahi, Gaura
East- Nauwa
West- Harinathpur, Simariya

This area will be called Nagar Panchayat, Kochas

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Dr. Rajeev Kumar)

Deputy Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-4 (N) Gath-3/2011 950 UD&HD Dated: 101413 Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette/ E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in E-Gazette. 2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and
Housing Department.
Deputy Secretary
Urban Development and Housing Department. Memo No-4 (N) Gath-3/2011 950 UD&HD Dated:- 10/19/12 Copy to all District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Sasaram / Private Secretary to the H' nble Chief Minister/
Private Secretary to the H' nble Minister Urban Development and Housing Department/ Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.
Deputy Secretary Deputy Secretary
Urban Development and Housing Department. Memo No-4 (N) Gath-3/2011 950 UD&HD Dated:- 1014 JJ Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Sone Bhawan, Patna for information
and necessary action. Deputy Secretary
Urban Development and Housing Department.
Memo No-4 (N) Gath-3/2011 9 UD&HD Dated:- 19 19 19 Copy to All the officers and Secretariat Assistants of Urban Development and Housing Department for information and necessary action.
Deputy Secretary
Urban Development and Housing Department.